POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 18.08.2025

1. थाना ईकोटेक-3 पुलिस द्वारा अन्य राज्यों से अवैध गांजा तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 क्विंटल 64 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा (कीमत करीब 40 लाख रूपये) व घटना में प्रयुक्त एक ट्रक बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **18.08.2025** को **थाना इकोटेक-3 पुलिस** द्वारा खेडा चौगानपुर गोल चक्कर पर ट्रक रजि0नं0- एचआर 69 सी 7950 में ग्रेनाइट पत्थर के साथ गाँजा होने की सूचना पर उक्त ट्रक से चैकिंग के दौरान दो अभियुक्त 1.अलीहसन पुत्र अलीशेर 2.योगेन्द्र पुत्र मोहर सिंह को मय 06 प्लास्टिक के कट्टों में कुल 31 बण्डल अवैध गाँजा (01 क्विंटल 64 किलो 700 ग्राम) जिसकी कुल कीमत करीब 40 लाख रुपये व घटना में प्रयुक्त एक ट्रक बरामद हुआ है ।

अभियुक्त अलीहसन व योगेन्द्र द्वारा बताया गया कि आर्थिक लाभ के लिए विभिन्न स्थानों पर गाँजे की सप्लाई करते हैं । गाँजा उडीसा राज्य से अरविन्द किशोर उर्फ टोनी द्वारा खरीदकर हमारे सुपुर्द किया जाता है जिसे हम सप्लाई करते हैं। अभियुक्तों से बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 331/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है तथा दो अभियुक्त अलीहसन व योगेन्द्र को बरामदगी के साथ गिरफ्तार किया गया व खरीद कर देने वाले अरविन्द किशोर को गिरफ्तारी न होने के कारण वाँछित किया गया है जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। अभियुक्त अलीहसन व योगेन्द्र कुमार वर्ष 2019 में गाँजा सप्लाई के अभियोग थाना छतरपुर उडीसा राज्य से कारागार जा चुके हैं ।

अपराध करने का तरीका-- गिरफ्तार अभियुक्त ट्रक/गाडी से ग्रेनाइट पत्थर को आन्ध्र प्रदेश से गाडी में लोड करते थे तथा उडीसा राज्य से अपने साथी के साथ मिलकर गाँजे की खरीद कर ग्रेनाइट पत्थर के बीच में रखकर विभिन्न स्थानों पर आर्थिक लाभ कमाने के लिए सप्लाई करते थे । दिनांक 18.08.2025 को पकडे गये अभियुक्तों द्वारा ग्रेनाइट पत्थर के बीच में गाँजा रखकर ग्रेनाइट पत्थर की बिल्टी दिखाकर टोल व पुलिस चैकिंग से बचकर निकल जाते थे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई करते थे। अभियुक्त अलीहसन गाडी चलाता है तथा गाडी का मालिक योगेन्द्र सिंह है । जिन्हे माल उडीसा राज्य से खरीदकर अरविन्द किशोर उर्फ टोनी देता था तथा विभिन्न स्थानों पर भिजवाने के लिए सप्लाई करता था ।

नोट- पुलिस उपायुक्त सेन्ट्रल नोएडा श्री शक्ति मोहन अवस्थी द्वारा उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में पुलिस टीम को 25 हजार रूपये के पुरस्कार से पुरूस्कृत किया गया है ।

अभियुक्तगण का विवरण--

1. अलीहसन पुत्र अलीशेर निवासी भदवास थाना पिलवा जिला एटा उम्र 37 वर्ष
2. योगेन्द्र पुत्र मोहर सिंह निवासी पचपेरा थाना सिकन्द्राराऊ जिला हाथरस उम्र 31 वर्ष

फरार अभियुक्त का विवरण--

अरविन्द किशोर उर्फ टोनी पुत्र सारन सिंह निवासी राजपुर थाना सिकन्द्राराऊ जिला हाथरस

बरामदगी का विवरण--

01 क्विंटल 64 किलो 700 ग्राम (कुल 31 बण्डल) जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपये व घटना में प्रयुक्त एक ट्रक

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 331/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना ईकोटेक तृतीय गौतमबुद्धनगर ।